FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

...ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — मुकाम अराई (अजमेर)

• ...मराव पुत्र घीसा, जाति जाट निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य। —प्रार्थी

बनाम

• गणेशी देवी पत्नी नारायण जाति जाट निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य। —अप्रार्थीगण

88 R.T.A.
किस्म मुकदमा— धारा 1[illegible], 136 भू.राज.अधि. 1956

दर्ज क्रमांक 79/2024
ऑनलाइन नंबर 2024/...17...

वकील प्रार्थी :— मुकुट बिहारी शर्मा — वकील अप्रार्थीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/12/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री मुकुट बिहारी पारीक ने अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राज. अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली ..17/01/25... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
17.1.25	पत्रावली पेश हुई। तामील शुदा सम्मन नोटिस प्राप्त। ~~[illegible]~~ शामिल पत्रावली। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। P.O. साहब राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली दिनांक 7/3/25 को पेश हो।	
7/3/25	पत्रावली पेश हुई आज......बार [illegible]...... .... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..4/4/25......को पेश हो।	
4/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर [illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार................ दिनांक.....9/5/25 9/5/25 पत्रावली पेश हुई आज......बार [illegible]...... ..... [illegible] स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...6/6/25...को पेश हो।	

6/6/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. सदस्य चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..............
दिनांक 25/7/15 को पेश हो।

25/7/15 पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित।
P.O. सदस्य चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..............
दिनांक 26/9/15 को पेश हो।

26/9/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०।
प्रतिवादी संख्या 7 के तामील शुदा
नोटिस प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली है।
प्रतिवादीगण अनु०। इंतजार जवाब हेतु
दिनांक 14/11/15 को पेश हो।

14/11/15 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०।
प्रतिवादीगण अनु०। बार-2 जवाब हेतु
मौका देने पर भी जवाब पेश नहीं
किया। अतः प्रतिवादीगण [illegible]
जवाब बन्द किया जाता है। मौका जांच रिपोर्ट
प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली वास्ते बहस
हेतु 19/12/15 को पेश हो।

19/12/15 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०।
बहस सुनी गई। वादी का वाद खारिज
किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 70/2024

अन्तर्गत धारा 88, 136 भू–राजस्व अधि0 1956

1. अमराव पुत्र श्री धीसा, जाति जाट, निवासी कालानाडा तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. कमला पत्नि रतनलाल, जाति जाट, निवासी कालानाडा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3 नाबालिग मोनू पुत्र रतनलाल, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कमला पत्नि रतनलाल, जाति जाट, निवासी कालानाडा, तहसील अराई जिला अजमेर, राजस्थान
4. नाबालिग लेखराज पुत्र रतनलाल, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका नाता कमला पत्नि रतनलाल, जाति जाट, निवासी कालानाळा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

प्राथीगण

बनाम

1. गणेशी देवी पत्नि नारायण जाति जाट निवासी कालानाडा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. गोपी पुत्र देवा जाति जाट निवासी कालानाडा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. जगदीश पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी कालानाडा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. नन्दराम पुत्र किशना, जाति जाट निवासी कालानाडा, तहसील अरांई. जिला अजमेर, राजस्थान
5. नारायण पुत्र माधू जाति जाट निवासी कालानाडा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय किशनगढ़ जिला अजमेर, राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 17/1/25

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री मुकुट बिहारी पारीक एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की कृषि वाके ग्राम कालानाडा पटवार क्षेत्र कालानाडा भू.अ.नि.क्षे. भोगादीत तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान में खसरा संख्या 508 क्षेत्रफल 0.4045 हैक्टेयर (किस्म चाही 1) की स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त खसरा संख्या 508 क्षेत्रफल 0.4045 हैक्टेयर (किस्म चाही 1) के लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की कृषि भूमि खसरा संख्या 507 क्षेत्रफल 0.0162 हैक्टेय (किस्म गै.मु चाह) स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि खसरा संख्या 508 क्षेत्रफल ०. 4045 हैक्टेयर (किस्म चाही–1) पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है साथ राजस्व नक्शा ट्रेस में भी उक्त खसरा का नक्शा अनुसार सही अंकन मौजुद है। वर्तमान ऑनलाईन भू–नक्शा में प्रार्थीगण के खसरा संख्या 508 के राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 507 का सहवन से अंकन हो गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि खसरा संख्या 507 के राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 508 का सहवन से अंकन हो गया प्रार्थीगण के खसरा सख्या 508 के राजस्व ट्रेस में खसरा संख्या 507 का सहवन से अंकन होने से प्रार्थीगण को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। वर्तमान ऑनलाईन भू–नक्शा में प्रार्थीगण के खसरा संख्या 508 में सहवन से हुये अंकन 507 दर्ज इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है. इसलिये प्रार्थीगण के लिये ऑनलाईन भू–नक्शा में खसरा संख्या 507 के स्थान पर सही खसरा संख्या 508 अंकन की घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का दाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनाक । ४–१०० ११ को प्रार्थीगण द्वारा ऑनलाईन भू–नक्शा की प्रति प्राप्त किये जाने से उत्पन्न हुआ जो गलत इन्द्राज ऑनलाईन भू–नक्शा में दर्ज रहने से वाद कारण सतत् रूप से जारी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 508 के स्थान पर 507 अंकन होने एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 खसरा संख्या 507 के खातेदारान् होने से तथा अप्रार्थी संख्या 7 को लैण्ड होल्डर होने के कारण मुकदमा पक्षकार बनाया गया है। तथा अर्थी संख्या 7 के पक्ष में अभि

रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे ऑनलाईन भू–नक्शा में दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे प्रार्थीगण के हित प्रभावित हो अथवा प्रार्थीगण के हितों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़े। वकील प्रार्थीगण ने वर्णित ग्राम कालानाडा की कृषि भूमि के ऑनलाईन भू–नक्शा में खसरा संख्या 507 के स्थान पर सही खसरा संख्या 508 एवं खसरा संख्या 508 के रथान पर खसरा संख्या 507 को दुरूस्त किया जाकर इन्द्राज अंकन करने की डिक्री पारित करने के का निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 18.12.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण के सम्मन नोटिस दिनांक 17.1.2025 को प्राप्त हुए तथा 14.11.2025 को प्रतिवादी 1 लगायत 5 का जवाब बन्द किया गया । पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अराई के राजस्व प्रार्थना पत्र सं 70/2024 अन्तर्गत धारा 88. 136 भू राजस्व अधिनियम अमराव पुत्र धीसा जाति जाट निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अराई वगैरह बनाम गणेशी देवी पत्नी नारायण जाति जाट निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अराई वगैरह में अप्रार्थीगण संख्या 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अराई की ओर से जवाब अनुसार प्रार्थीगण की भूमि वाके ग्राम कालानाडा पटवार क्षेत्र कालानाडा भू.अ.नि.क्षेत्र भोगादीत तह अराई के खसरा सं. 508 से 0.4045 है. (किस्म चाही 1) स्थित है जिसकी जमावन्दी की प्रति संलग्न है।अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की कृषि भूमि खसरा नं. 507, क्षे. 0.0162 है (किस्म गै.मु. चाह) स्थित है जो प्रार्थीगण के ख. नं. 508 से लगायत है. जिसके नक्शे की प्रति सलग्न है। ख. स. 508. क्षे. 0.4045 है. (किस्म चाही 1) पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। सहवन से वर्तमान नक्शे में खसरा सं. 508 की जगह खसरा सं. 507 एवं खसरा सं. 507, की जगह खसरा स 508 का अंकन वर्तमान नक्शा संवत 2027–28 में हो गया है।पैरोकार सरकार तहसीलदार अरांईअनुसार शुद्धि किया जाने की अनुशंषा की गई है ।

तहसीलदार अराई की जांच रिपोर्ट अनुसार पेरोकार जवाब अनुसार वर्णित ग्राम कालानाडा की कृषि भूमि के ऑनलाईन भू–नक्शा में खसरा संख्या 507 के स्थान पर सही खसरा संख्या 508 एवं खसरा संख्या 508 के रथान पर खसरा संख्या 507 को दुरूस्त किया जाकर इन्द्राज किया जाने की अनुशंषा की गई है । हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि वर्णित ग्राम कालानाडा की कृषि भूमि के ऑनलाईन भू–नक्शा में खसरा संख्या 507 के स्थान पर सही खसरा संख्या 508 एवं खसरा संख्या 508 के रथान पर खसरा संख्या 507 को दुरूस्त किया जाकर इन्द्राज किया जावे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)